यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** के माह 05/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 09.06.2018 से 19.06.2018 तक श्री **ए सी कटियार, वरि0** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** द्वारा दिनांक 08.05.2017 से 17.05.2017 तक श्री राजबहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त जनपद पिथौरागढ़ है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत /आधिक्य
2015-16	0.00	0.00	149.46	144.211	5.249	5066.33	4564.77	501.56
2016-17	0.00	0.00	143.662	131.847	11.815	3653.14	3361.8	291.34
2017-18	0.00	0.00	116.60	115.064	1.536	3397.64	3280.51	117.13

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

निदेशक

↓

जिला समाज कल्याण अधिकारी

↓

अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी

↓

प्रधान सहायक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।, **गौरा देवी योजना**, **विकलांग पेंशन योजना**, **विधवा पेंशन योजना**, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत किये गये अधिकतम व्यय आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01 ₹ 1117.72 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित कर अनियमित रूप से कार्यालय स्तर पर 12 बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने के संबंध में।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-5 के प्रस्तर 162 के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जानी चाहिए जितनी धनराशि की व्यय हेतु तुरंत आवश्यकता हो, बजट व्यपगत (Lapsed) होने से बचाने हेतु कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में जमा रखा जाना सर्वथा प्रतिबंधित है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय, समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ स्तर पर 12 बैंक खाते अनियमित रूप से संचालित करते हुए विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ₹ 1117.72 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत (Lapsed) होने से बचाने हेतु कोषागार से आहरित कर उक्त बैंक खातों में संप्रेक्षा तिथि (जून 2018) तक अवरुद्ध रखी गयी थी।यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अवरुद्ध धनराशि को इकाई स्तर पर संबन्धित अभिलेखों में व्ययित (Expended) भी दिखाई जा रही थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया किशासन स्तर से बजट वित्तीय वर्ष के अंत में अवमुक्त किए जाने के कारण एवं जिस कारण उस धनराशि को उसी माह में व्यय किया जाना संभव न होने के कारण अवमुक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर बैंक खातों में रखते हुए उपभोगित मानते हुए अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया जाता है तथा इकाई स्तर पर 12 बैंक खाते संचालित किए जाने के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात शीघ्र ही आवश्यकता से अधिक खोले गए बैंक खातों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई द्वारा दिये गए उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि इकाई स्तर पर वित्तीय प्रावधानों की अनदेखी करते हुए शासकीय धन को उपभोगित दर्शाते हुए इकाई स्तर पर बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जा रहा था।

अतः ₹ 1117.72 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित कर अनियमित रूप से कार्यालय स्तर पर 12 बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-02 "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2016-17 से संबन्धित 202 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 101.00 लाख की सहायता राशि से वंचित रहना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 से संबन्धित अनुसूचित जाति की 202 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ₹ 101.00 लाख की धनराशि का भुगतान, उक्त योजना को समाज कल्याण विभाग से हटा कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के रूप में संचालित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अवशेष बालिका लाभार्थियों हेतु समाज कल्याण विभाग को बजट आबंटित न किए जाने के कारण, संप्रेक्षा तिथि (जून 2018) तक नहीं किया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से संबन्धित 202 पात्र बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से उक्त योजना के अंतर्गत उनको मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों को शासन स्तर से वांछित बजट की मांग करते हुए शीघ्र ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2016-17 में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि जून 2018 तक उक्त सहायता से वंचित थीं।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से संबन्धित 202 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 101.00 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति. सं.	वर्ष	भाग-दो (अ) प्रस्तर सं.	भाग-दो (ब) प्रस्तर सं.	STAN प्रस्तर सं.
171	2004-05	01	01, 02	शून्य
104	2006-07	01, 02	01,02 ,03 ,04 , 05	शून्य
108	2012-13	शून्य	01,02 ,03 ,04 , 05	01
10	2017-18	शून्य	01,02 ,03 ,04 ,05 ,06, 07, 08	शून्य
योग		**03**	**20**	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई स्तर से अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिशिचित किया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री पी0वी0 सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी	-------- 30/08/2017 तक
2.	श्री एन0एस0 गस्पाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01/09/2017 से 09/03/2018 तक
3.	श्री ए0के0 शर्मा (प्र.)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	15/03/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.